न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 49 सन 2019

अनवान :–

1. सिलोचना पुत्री चन्दुराम पत्नी ताराचन्द जाति बाजीगर निवासी रानीया तहसील ऐलानाबाद जिला सिरसा।

सायला

बनाम

1. रामकुमार पुत्र चन्दुराम जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर
2. बगडावत पुत्र चन्दुराम जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. राजो पत्नी चन्दुराम जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
5. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
6. प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैक शाखा बरमसर तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता सायल

निर्णय दिनांक :– 16/02/2020

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि चन्दुराम फोत हो चुका है जिसके जायत व कानुनी वारिसान सायला एवं गैरसायल न0 1 ता 3 है रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 239/201 के खसरा न0 321 की 8.3470हैक , खसरा न0 607/1 की 8.8520हैक कुल 17.1990हैक भूमि में से 17.10 बीधा भूमि गैरसायल न0 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि सायला की दादालाई सम्पति है जो सायला के पिता चन्दुराम के नाम से दर्ज थी चन्दुराम के देहान्त होने पर विरास्तन से भूमि चन्दुराम के वारिसान के नाम से नामान्तकरण संख्या 360 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज कर दी जबकि चन्दुराम के सभी वारिसान के नाम से विरास्तन नामान्तरकण दर्ज किया जाना चाहिये था अर्थात सायला एवं गेरसायल न0 1 ता 3 एवं प्रतिवादी संख्या 7 के नाम दर्ज किया जाना चाहिये था।

चन्दुराम के देहान्त होने पर उसके जायज वारिसान सायला , गैरसायल न0 1 ता 3 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 पाचों के नाम दर्ज किया जाना चाहिये था अर्थात सभी 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार सायला धोषणा करवाने की अधिकारी है।

गैरसायल ने अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली जिसका नाजायज फायदा उठा कर रहन बेय करने पर उतारू है यदि गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायला को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा इसलिये सायला गैरसायल न0 1 ता 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने की अधिकारी है कि गैरसायल न0 1 ता 3 वाद भूमि ताफैसला दावा रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकील ना करे सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

सायला का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गेरसायल न0 1 ता 3 का रजिस्टर सम्मन /नोटिस से तलब करने के उपरान्त गेरसायल न0 2 स्वय दिनांक 28.05.2019 को उपस्थित आया तत्पश्चात गैरसायल न0 2 उपस्थित नहीं आया गैरसायल न0 1 ता 3 को सुचना के उपरानत न्यायालय में उपस्थित नही आने के कारण एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाकर वकील सायला की एक पक्षिय बहस सुनी गई ।

वकील सायल के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की चन्दुराम फोत हो चुका है जिसके जायत व कानुनी वारिसान सायला एवं गैरसायल न0 1 ता 3 है रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 239/201 के खसरा न0 321 की 8.3470हैक , खसरा न0 607/1 की 8.8520हैक कुल 17.1990हैक भूमि में से 17.10 बीधा भूमि गैरसायल न0 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि सायला की दादालाई सम्पति है जो सायला के पिता चन्दुराम के नाम से दर्ज थी चन्दुराम के देहान्त होने पर विरास्तन से भूमि चन्दुराम के वारिसान के नाम से नामान्तकरण संख्या 360 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज कर दी जबकि चन्दुराम के सभी वारिसान के नाम से विरास्तन नामान्तरकण दर्ज किया जाना चाहिये था अर्थात सायला एवं गेरसायल न0 1 ता 3 एवं प्रतिवादी संख्या 7 के नाम दर्ज किया जाना चाहिये था।

चन्दुराम के देहान्त होने पर उसके जायज वारिसान सायला , गैरसायल न0 1 ता 3 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 पाचों के नाम दर्ज किया जाना चाहिये था अर्थात सभी 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार सायला धोषणा करवाने की अधिकारी है।

गैरसायल ने अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली जिसका नाजायज फायदा उठा कर रहन बेय करने पर उतारू है यदि गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायला को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा इसलिये सायला गैरसायल न0 1 ता 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने की अधिकारी है कि गैरसायल न0 1 ता 3 वाद भूमि ताफैसला दावा रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकील ना करे सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वकील वादी का सुना पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायला चन्दुराम की वारिस है या नही एवं वाद भूमि पैतृक है या नही जिसमें सायला किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है अथवा नही प्रार्थना पत्र यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 239/201 के खसरा न0 321 की 8.3470हैक्ट , खसरा न0 607/1 की 8.8520हैक्ट कुल 17.1990हैक्ट भूमि में से 17.10 बीधा भूमि गैरसायल न0 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो चन्दुराम के देहान्त होने पर गैरसायल न0 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में विरास्तन बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हुई है वर्तमान में सायला किसी प्रकार की टिनेन्ट दर्ज नही है गैरसायल रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन गैरसायल संख्या 1 ता 3 के पक्ष में पाया जाता है।

सायला का कथन है कि सायला चन्दुराम की वारिस है और वाद भूमि में उसका भी हक हिस्सा है गैरसायल न0 1 ता 3 ने अपने हकों से ज्यादा भूमि अपने नाम से दर्ज करवा ली है जिसे गैरसायल संख्या 1 ता 3 बेचान करना चाहते है यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायला चन्दुराम की वारिस है या नही यदि वाद में सायला चन्दुराम की वारिस साबित हो जाती है एवं उसके हकों का निर्धारण हो जाता है तो सायल वाद भूमि में अपने हकों को पानें की अधिकारी होगी।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि गैरसायल न0 1 ता 3 के नाम से वाद भूमि दर्ज है वाद भूमि गैरसायल न0 1 ता 3 के नाम दर्ज होने का फायदा उठा कर कभी भी रहन बेय या अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण कर सकते है यदि भूमि खूर्द बूर्द हो जाती है तो अपूर्णीय क्षति सायला को होगी ना की गैरसायल को होगी।

जब तक वाद में सायला के हकों को निर्धारण नही हो जाता तब तक वाद भूमि की यथास्थिति बनाई रखी जानी न्यायोचित है ताकि आपसी विवाद एवं मुकदमें बाजी ना बढे।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायला के पक्ष में होने के कारण सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 239/201 के खसरा न0 321/8.3470 व 607/1 की 8.8520हैक्ट कुल 17.1990हैक्ट में से गैरसायलान के नाम से दर्ज 17.10 बीधा भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला दावा बनाये रखे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/2/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)